

1.09

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में देवघाट-घुघ्ती-कैलानी-मसमौली मोटर मार्ग का नव निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना निर्माण के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य हेतु 2.088 हे० गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता है, जो ग्राम ^{2.088} पटवारी क्षेत्र ^{देवघाट} तहसील ^{रानीखेत} जिला अल्मोड़ा के खाता सं० ⁸, खसरा सं० ^{रानीखेत} में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि अर्जित कर ली गयी है।

उक्त परियोजना की वन भूमि हस्तान्तरण की प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् उक्त भूमि का अमलदरामद (Mutation) वन विभाग के द्वारा कर दिया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत (अल्मोड़ा)

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत (अल्मोड़ा)

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत (अल्मोड़ा)

राजस्व तहसील निरीक्षक
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत (अल्मोड़ा)
02/05/16

तहसीलदार स्याल्द
जिला-अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

उप जिलाधिकारी स्याल्द
जनपद-अल्मोड़ा

उप जिलाधिकारी स्याल्द
जनपद-अल्मोड़ा

१९

रबतोगी. उदरग मोर जमींदारी लिबास

१. ग्राम उगलियालीम (लासगरी) सेव देहात अल्मोड़ा।
 लिख्य - साते पूरक वृक्षारोपण हेतु सिविलवेनाप भूमि मोटर मार्ग तह
 भूमी १(३) ड. कृषि योग्य लेकार भूमि।

15	वजर कां आ	हाव पुन		
			1	१६४॥=
			11	१०१-
			17	२१
			२६	४५॥
			27	१४६॥=
			42	३४=
			74	४०१
			76	३५॥॥
			82	॥॥=
			88	१=
			↑	↑
			1521	६=
			1537	३५॥=
			1544	६०॥॥
		योग	१००	१४६॥॥॥

लिखपत्र

१९९९

महोदय

गैरजिनि से नकल कर
 प्रेषित

२०